पत्रांक :– 03/पु०(योजना)–115/2025 ..../

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक – / /2025 ई०।

विषय :– **चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के तहत् पलामू जिलान्तर्गत जैप–08, लेस्लीगंज में किचेन एवं डाइनिंग हॉल के निर्माण कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलित राशि रू० 1,10,32,500/– (एक करोड़ दस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय पत्रांक–697/टी०एस०, दिनांक 26.09.2025 के द्वारा राज्य स्कीम के तहत् पलामू जिलान्तर्गत जैप–08, लेस्लीगंज में किचेन एवं डाइनिंग हॉल के निर्माण कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलित राशि रू० 1,10,32,500/– (एक करोड़ दस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची द्वारा अनुमोदित नक्शा, तकनीकी प्रतिवेदन एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन सहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) समर्पित किया गया है। प्राक्कलन वर्त्तमान अनुसूचित दर झारखण्ड अनुसूचित दर 28 जुलाई 2022 से प्रभावी/डी०एस०आर० 2023 के आधार पर तैयार किया गया है।

3. राज्य स्कीम के तहत् पलामू जिलान्तर्गत जैप–08, लेस्लीगंज में किचेन एवं डाइनिंग हॉल के निर्माण कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलित राशि रू० 1,10,32,500/– (एक करोड़ दस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव निम्नरूपेण है :–

S.No.	Description	Amount (Rs.)	
1	Building Work	72,72,365.02	
2	Water Supply and Sanitary Work	2,96,311.16	
3	200x150mm Deep bore well	3,62,317.83	
4	Septic Tank & Soak Pit	1,54,877.59	
5	Electrical Installation works	4,79,806.90	
	Total :-	**85,65,678.50**	**(A)**
6	Add 18% GST of (A)	15,41,822.13	
	Total :-	**1,01,07,500.63**	**(B)**
7	Add 1% labour cess of (B)	1,01,075.01	
	Total :-	**1,02,08,575.64**	**(C)**
8	Quality Control @ 0.5% of (C)	51,042.88	
9	Tools & Plants @ 0.5% of (C)	51,042.88	
	Total :-	**1,03,10,661.40**	**(D)**
10	Operational Grant @ 7% of (D)	7,21,746.30	
	Total :-	**1,10,32,407.70**	
	Round off :-	**1,10,32,500.00**	

(एक करोड़ दस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र

4. उक्त के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या–1269, दिनांक 21.09.2023 की कंडिका– 1.1 द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के तहत् चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के तहत् पलामू जिलान्तर्गत जैप–08, लेस्लीगंज में किचेन एवं डाइनिंग हॉल के निर्माण कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलित राशि रू० 1,10,32,500/– (एक करोड़ दस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. योजना के पूर्ण होने के उपरांत अवशेष राशि (अव्यवहृत राशि) निश्चित रूप से राजकोष में जमा कर दिया जाएगा।

6. राशि का वहन/व्यय राज्य स्कीम बजटशीर्ष–4055–पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय–207–राज्य पुलिस–67–पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य, विपत्र कोड–22S40550020767000545 अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

7. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक–सह–वरीय पुलिस अधीक्षक (DDO Code RNCPOL010), राँची होंगे तथा उनके द्वारा राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची से कर राशि झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JPHCL), राँची के PL खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

8. योजना का कार्यान्वयन झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से कराया जाएगा। योजना 02 वित्तीय वर्षों में पूर्ण की जाएगी।

9. योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यय सक्षम स्तर से प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति के आलोक में तथा प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

10. महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची विषयांकित योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हों ले कि जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है तथा इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गयी है। किसी प्रकार का अवैध निकासी का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

12. विषयांकित योजना के भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची पर होगी।

13. महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची योजनाओं का समय–समय पर नियमित रूप से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/समीक्षा करेंगे ताकि निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण तरीके से योजना पूर्ण हो।

14. योजनाओं का वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वित्त विभाग को निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाएगा।

15. योजना का Duplication नहीं हो, इसकी जिम्मेवारी प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची तथा पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखण्ड, राँची की होगी।

16. योजना का कार्यान्वयन में PWD Code, वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०, दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत संबंधित सभी वित्तीय/प्रशासनिक नियम/विनियम का अक्षरशः पालन किया जायगा। Tax (IT/VAT/Service Tax/Royality) इत्यादि At Source /स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप Settle किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेन्सी किसी भी अनियमितता के लिए उत्तरदायी होगी।

17. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 03/पु० (योजना)– 115/2025 ..../ राँची, दिनांक– / /2025 ई०।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 03/पु० (योजना)– 115/2025 366/ राँची, दिनांक– 19/11/2025 ई०।

प्रतिलिपि :– महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JPHCL), राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.11.25
सरकार के प्रधान सचिव।